रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06032020-216578
CG-DL-E-06032020-216578

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 136] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 5, 2020/फाल्गुन 15, 1941
No. 136] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 5, 2020/PHALGUNA 15, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

[केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2020

आय-कर

सा.का.नि. 159 (अ).— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 11 की उपधारा (5) के खंड (xii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (सातवाँ संशोधन) नियम, 2020 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 17ग में, खंड (v) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(vक) किसी ऐसी कंपनी की -

(अ) जो भारत और विदेशों में खुदरा संदाय प्रणाली या डिजिटल संदाय निपटान या ऐसे समान क्रियाकलापों के ऐसे प्रचालन में लगी हुई है और जो इस प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित है ; और

(आ) जिसके साधारण शेयरों का कम से कम इक्यावन प्रतिशत भारत के राष्ट्रीय संदाय निगम द्वारा धारित हैं ।

साधारण अंश पूंजी या बंधपत्रों या डिबेंचरों में, संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 4 के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किया गया विनिधान ।"

[अधिसूचना सं.15/2020/ फा.सं.370142/5/2020-टीपीएल]

नेहा सहाय, अवर सचिव (कर नीति और विधायन प्रभाग)

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ.969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि 124(अ) तारीख 17 फरवरी, 2020 द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया था ।